रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2019/कार्तिक 20, 1941
No. 658] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2019/KARTIKA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 836(अ).—केंद्रीय सरकार, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक के खंड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर संशोधन (13वां संशोधन), नियम, 2019 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय कर नियम, 1962 के नियम 11पकख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा और यह 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा, अर्थात् :-

धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक के खंड (XI) के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का विहित वर्ग ।

11पकग : धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के परंतुक राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में किसी अप्राधिकृत कॉलोनी के किसी निवासी द्वारा प्राप्त किसी ऐसी अचल संपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, को वहां लागू नहीं होंगे, जहां राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने नवीनतम मुख्तारनामा, विक्रय के लिए करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेज, जिनके अंतर्गत ऐसे निवासी के पक्ष में ऐसी अचल संपत्ति के बारे में स्वामित्व या अंतरण या बंधक के अधिकार को प्रदान करने या उसे मान्यता देने के प्रतिफल के संदाय का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज भी हैं, के आधार पर, ऐसी अचल संपत्ति के संव्यवहारों को विनियमित किया है ।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या नवीनतम मुख्तारनामे के सैट, विक्रय के लिए करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेज जिनके अंतर्गत अप्राधिकृत कॉलोनियों में किसी संपत्ति के संबंध में प्रतिफल के संदाय का साक्ष्य देने वाले दस्तावेज भी हैं, के आधार पर अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा रखता है और इसके अंतर्गत विधिक वारिस भी हैं किंतु इसके अंतर्गत किरायेदार, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञेय उपयोक्ता नहीं है ।

(ख) "अप्राधिकृत कॉलोनी" से ऐसी कॉलोनी या विकास अभिप्रेत है जिसमें सांसर्गिक क्षेत्र भी समाविष्ट हैं, जहां अभिन्यास रेखांक या भवन रेखांक के अनुमोदन के लिए कोई अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई है और जिसकी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 24 मार्च, 2008 में प्रकाशित दिल्ली विकास प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या का.आ. 683(अ), तारीख 24 मार्च, 2008 के अनुसरण में ऐसी कॉलोनी के नियमितिकरण के लिए पहचान की गई है ।

[अधि. सं.96/2019/फा. सं. 370142/29/2019-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का. आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार सा.का.नि. सं. 825(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2019 द्वारा संशोधन किया गया ।